

प्रपत्र-२

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय-रॉची

संख्यांक ७३३

तारीख १२-०३-२०२४

प्रबंधक,

एन कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल,
बिजूपाड़ा, रॉची।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, २०११ के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

प्रसंग:- जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक ०८.०३.२०२४ में लिये गये निर्णय एवं दिनांक १२.०३.२०२४ को उपायुक्त महोदय द्वारा दिये गये आदेश।


महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विद्यालय-एन कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, बिजूपाड़ा, रॉची (**N CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL, BIJUPARA, RANCHI**) के साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्यालय-एन कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, बिजूपाड़ा, रॉचीको शैक्षणिक सत्र के २०२४-२५ से कक्षा १ (एक) से ८ (आठ) तक के लिए मान्यता प्रदान करने का संसूचना निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है-

१. इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धन करने के लिए बाध्यता निहित नहीं है।
२. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, २०११ के उपबंधों तथा विभागीय अधिसूचना संरच्चया ज्ञापांक ६२९ दिनांक २५.०४.२०१९ को लागू करना होगा।
३. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा के बालकों की संरच्चया के २५ प्रतिशत तक आस-पास के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
४. उक्त कंडिका -३ में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम धारा-१२ की उपधारा (२) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक रवाता संधारित करेगा।
५. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकर हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का रकीनिंग टेरेट नहीं होगा।
६. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का समुत्त नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
७. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे-
 - (क) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुच्छीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा।
 - (ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उच्चीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

Secretary Cum Manager

N Cambrian Public School
Chorya More, Bijupara, Ranchi-835214



शिक्षा का अधिकार
 चर्चा हिता अभियान
 चर्च यह सब ढाई

- (घ)प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (ङ)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- (च)संबंधित विद्यालय अपने पास-पड़ोस के १ से ५ कि०मी० के परिधीय क्षेत्र के कम से कम ८० प्रतिशत बालकों का आर०टी०ई० अंतर्गत २५ प्रतिशत नामांकन सहित अपने विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करेगा।
- (छ)विद्यालय अपने मुख्य प्रवेश एवं निकास (Entrance and Exit) द्वार, जो मुख्य अथवा सहायक पथ पर पड़ते हैं, उसे आम आवागमन के लिए बाधित नहीं किये जाने की जवाबदेही लेंगे तथा इस हेतु पूर्व से ही आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करेंगे।
- (ज)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा उनके पास उनके निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम २००९ के लागू होने के समय नहीं है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ पूर्ण कर लेंगे।
- (झ)अध्यापक, अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ञ)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
9. विद्यालय में अंति निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रस्तुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
- I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - १ एकड़ ५८ डिसमील
 - II) कुल निर्मित क्षेत्रफल - ६४०० स्क्वायर मीटर
 - III) कीड़ा - स्थल का क्षेत्रफल - २००० स्क्वायर मीटर
 - IV) कक्षाओं की संख्या - २५
 - V) प्राध्यापक-सह-कार्यालय-भंडागार के लिए कक्ष - ०१
 - VI) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - बालक-१०/बालिका-१०
 - VII) पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
 - VIII) मिड-डे-मिल पकान के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)- लागू नहीं।
 - IX) बाधारहित पहुँच - उपलब्ध है।
 - X) अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा रवेलकूद उपस्कर्तों/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम आ किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

[Signature]
Secretary Cum Manager

II Cambrian Public School
 Chonya More, Bijupara, Ranchi-835214

13. विद्यालय के लेरवाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेरवा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेरवा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
 14. विद्यालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
 15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक व्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
 16. विद्यालय के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९, झारखण्ड के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली २०११ एवं विद्यालय को विभागीय अधिसूचना संरच्या- ६२९ दिनांक २५.०४.२०१९ में अंकित प्रावधानों एवं शर्तों को लागू करना होगा।
 17. विद्यालय एवं उससे संबंधित भूमि का सही-सही विवरण उपलब्ध कराने/ अभिलेख संधारण/ उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से क्य/ हस्तान्तरण/ प्राप्ति की पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय एवं उसके सोसाईटी की है एवं होगी। अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद/वाद/माननीय व्यायालय वाद/अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग/सरकार/जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। इसकी पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय की प्रबन्ध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।
 18. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी रॉची के पत्रांक १९८३ दिनांक ०९.०७.२०२१ पत्रांक २९२५ दिनांक ०८.१०.२०२१ एवं पत्रांक १३२ दिनांक ११.०१.२०२२ के द्वारा निजी विद्यालयों के मान्यता से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की मांग सचिव, रक्खूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड रॉची से की गयी है। यदि इसमें कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो आदेश में संशोधित/रद्द किया जायेगा।
 19. विभागीय पत्रांक १९०३ दिनांक २२.१०.२०२१ के द्वारा विद्यालयों को ऑनलाइन देने हेतु पोर्टल में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं। इस स्थिति में आवश्यक संशाधनोंपरांत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति देने तक के लिए तत्काल ऑफलाइन मान्यता दी जा रही है। यह आदेश ऑनलाइन मान्यता निर्गत होने तक मान्य होगा।
 (यह आदेश उपायुक्त, रॉची की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक ०८.०३.२०२४ में लिये गये निर्णय एवं उपायुक्त, रॉची के द्वारा दिनांक १२.०३.२०२४ को संविका में दिये गये आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।)
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संरच्या २०२४-०३३/२०२४-२५ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए संरच्याक/ आवंटित कोड का उल्लेख किया जाये।


 Secretary Cum Manager
 II Cambrian Public School
 Chorya More, Bijupara, Ranchi-835214

जिला शिक्षा अधीक्षक
 रॉची

सुफाई
 १२-३-२५

१२/०३/२५